संख्या-11/2015/ 34सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2015

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रु0-200.00 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत्) की धनराशि रु0-100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2159सी0डी0/46-3-14-1000(75)/2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2014, जिसके द्वारा गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र) की कार्ययोजना/कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत (प्रथम किश्त) की धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) एस0सी0एस0पी0 कार्यक्रमों के निमित्त श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000.00 (रू0 दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत्) के रूप में रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) को **संलग्नक में** जनपदवार/ कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये लक्ष्य/फांट के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास की योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043 सी0डी0/46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तगत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2012, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/ आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः ---------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति, दिनांक 31 मार्च. 2015, से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

5- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

6- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

7- योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

8- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैक/पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाया

10- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत) के अधीन लेखा शीर्ष ''2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-417/26-ब0प्र0-2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्था/निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2015/ 34(1)सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।

4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

क्रमशः ---------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-11/2015/34सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013, दिनांक 05 फरवरी , 2015 का संलग्नक

गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-83 (अनु0/जन जाति-आयोजनागत) के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्यक्रमवार /जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत (द्वितीय किस्त) की वित्तीय स्वीकृति हेतु।

धनराशि (रूपये में)

क्र0 स0	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण	अभिजनक बीज यातायात	आधार बीज यातायात	मृदा बीज उपचार	पेड़ी प्रबंधन	बायोफर्टीलाइजर/ वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	11733	58663	353	1643	154900	43819	167079	438190
2	मुजफ्फरनगर	15136	75681	458	2120	199837	56531	215550	565313
3	शामली	6378	31889	195	893	84204	23820	90824	238203
योग मण्डल		**33247**	**166233**	**1006**	**4656**	**438941**	**124170**	**473453**	**1241706**
4	मेरठ	12494	62468	375	1750	164949	46662	177919	466617
5	गाजियाबाद	1907	9535	83	267	25177	7122	27156	71247
6	बुलन्दशहर	7027	35133	210	984	92768	26243	100062	262427
7	बागपत	7787	38936	233	1091	102812	29084	110896	290839
8	हापुड़	3265	16323	98	457	43101	12193	46490	121927
योग मण्डल		**32480**	**162395**	**999**	**4549**	**428807**	**121304**	**462523**	**1213057**
9	बिजनौर	24044	120219	720	3368	317440	89799	342399	897989
10	रामपुर	4177	20882	158	585	55138	15598	59473	156011
11	मुरादाबाद	6747	33736	203	945	89080	25200	96084	251995
12	अमरोहा	8052	40261	240	1128	106310	30074	114669	300734
13	सम्भल	1118	5590	0	157	14760	4176	15920	41721
योग मण्डल		**44138**	**220688**	**1321**	**6183**	**582728**	**164847**	**628545**	**1648450**
14	अलीगढ़	1976	9879	98	277	26085	7379	28136	73830

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	मथुरा	88	437	0	13	1154	327	1244	3263
16	बरेली	12108	60539	368	1696	159855	45221	172424	452211
17	पीलीभीत	10974	54867	330	1537	144878	40984	156270	409840
18	शाहजहांपुर	8004	40021	240	1121	105676	29894	113985	298941
19	बदायूं	3928	19641	120	550	51862	14671	55940	146712
20	कासगंज	1326	6630	0	186	17506	4952	18882	49482
योग मण्डल		**38404**	**192014**	**1156**	**5380**	**507016**	**143428**	**546881**	**1434279**
21	फरूर्खाबाद	1860	9299	90	261	24554	6946	26485	69495
22	कानपुर	1062	5307	0	149	14012	3964	15113	39607
23	रायबरेली	334	1667	0	47	4401	1245	4748	12442
24	सीतापुर	15032	75162	450	2106	198467	56144	214072	561433
25	लखीमपुर खीरी	29000	144999	870	4062	382873	108309	412977	1083090
26	हरदोई	5751	28757	173	806	75933	21481	81904	214805
योग मण्डल		**53039**	**265191**	**1583**	**7431**	**700240**	**198089**	**755299**	**1980872**
27	बाराबंकी	1061	5305	0	149	14009	3963	15110	39597
28	फैजाबाद	4114	20567	165	576	54306	15363	58577	153668
29	अम्बेडकरनगर	2463	12312	120	345	32509	9197	35065	92011
30	सुल्तानपुर	922	4611	0	129	12174	3444	13132	34412
31	जौनपुर	602	3011	0	85	7949	2249	8575	22471
32	गाजीपुर	364	1821	0	51	4808	1360	5186	13590
33	वाराणसी	256	1278	0	37	3375	955	3640	9541
योग मण्डल		**9782**	**48905**	**285**	**1372**	**129130**	**36531**	**139285**	**365290**
34	बहराइच	10086	50430	300	1413	133161	37669	143631	376690

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	गोण्डा	9046	45230	270	1267	119429	33785	128820	337847
36	बलरामपुर	10826	54127	323	1516	142922	40431	154160	404305
योग मण्डल		**29958**	**149787**	**893**	**4196**	**395512**	**111885**	**426611**	**1118842**
37	बस्ती	8601	43046	255	1205	113563	32124	122417	321211
38	सिद्वार्थनगर	247	1232	0	35	3254	921	3510	9199
39	गोरखपुर	622	3107	0	87	8204	2321	8850	23191
40	महराजगंज	2276	11380	90	319	30047	8500	32410	85022
योग मण्डल		**11746**	**58765**	**345**	**1646**	**155068**	**43866**	**167187**	**434623**
41	कुशीनगर	10186	50929	308	1427	134477	38042	145052	380421
42	देवरिया	1702	8508	75	239	22465	6355	24232	63576
43	मऊ	1039	5154	0	146	13715	3880	14794	38728
44	आजमगढ़	1580	7898	85	221	20854	5900	22494	59032
45	बलिया	459	2294	0	65	6058	1714	6534	17124
योग मण्डल		**14966**	**74783**	**468**	**2098**	**197569**	**55891**	**213106**	**558881**
सम्पूर्ण योग		**267760**	**1338761**	**8056**	**37511**	**3535011**	**1000011**	**3812890**	**10000000**

(रू0 एक करोड मात्र)

नोटः-जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवन्टित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर,गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in